

न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 09/2018

दायर दिनांक 08.01.2018

वादीगण	बनाम्	प्रतिवादीगण
<ol style="list-style-type: none"> बोदूराम पुत्र स्वर्गीय भँवरलाल, धन्नाराम पुत्र भँवरलाल, मोटाराम उर्फ बजरंगलाल पुत्र स्वर्गीय भँवरलाल, कैलाश पुत्र स्वर्गीय भँवरलाल, झूमरीदेवी पत्नी पुत्र स्वर्गीय भँवरलाल, पुष्पा पुत्री स्वर्गीय जयनारायण, गंगा पुत्री स्वर्गीय जयनारायण, शिवभगवान पुत्र स्वर्गीय गोपीकिशन, देवीदत्त पुत्र स्वर्गीय गोपीकिशन, समस्त, जाति-ब्राह्मण, निवासी-सूपका, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान। 	बनाम्	<ol style="list-style-type: none"> तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
बन्टवारा

अन्तर्गत धारा-53, R.T.Act.

व

रिकॉर्ड दुरस्ती

अन्तर्गत धारा-136, R.T.Act.

उपस्थित:-

- श्री महावीरप्रसाद चतुर्वेदी, अधिवक्ता, वादीगण।

--: निर्णय :-

दिनांक 06.10.2021

शरहद सूपका के खसरा नम्बर 48 रकबा 19.19 बीघा व खसरा नम्बर 114 रकबा 0.09 बीघा व खसरा नम्बर 115 रकबा 16.12 बीघा व खसरा नम्बर 30 रकबा 35.04 बीघा व खसरा नम्बर 110 रकबा 04.02 बीघा व खसरा नम्बर 218 रकबा 21.05 बीघा अवस्थित है तथा शरहद थाणू में खसरा नम्बर 277 रकबा 61.11 बीघा भूमि में वादी व प्रतिवादी के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने व नाम दुरस्ती बाबत् दिनांक 21.07.2018 को तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

राजस्व लोक अदालत: प्रशासन गांवों के संग, कोर्ट कैम्प-सूपका में प्रकरण पेश हुआ। तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक: 663 दिनांक 27.08.2021 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बन्टवारा पर पक्षकारान् सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 663 दिनांक 27.08.2021 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।



सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)


--: आदेश :-

अतः दावा डिक्री सादिर कर खेत खसरा नम्बर 48 रकबा 19.19 बीघा व खसरा नम्बर 114 रकबा 0.09 बीघा व खसरा नम्बर 115 रकबा 16.12 बीघा व खसरा नम्बर 30 रकबा 35.04 बीघा व खसरा नम्बर 110 रकबा 04.02 बीघा व खसरा नम्बर 218 रकबा 21.05 बीघा अवस्थित है तथा शरहद थाणू में खसरा नम्बर 277 रकबा 61.11 बीघा "बाईमिड्स एण्ड बाउण्ड्स" के बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 663 दिनांक 27.08.2021 थाणु व आस की ढाणी की भूमि के विभाजन प्रस्ताव अनुसार, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त खसरान् में बजरंग के स्थान पर मोटाराम, देवीलाल के स्थान पर देवीदत्त, हरदत्त के स्थान पर हरिदत्त व गोपीराम के स्थान पर गोपिकिशन दुरुस्त किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 663 दिनांक 27.08.2021 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो।


 (कार्तिकेय सोणम)
 सहायक कलक्टर
 R.A.S. (सागौर)
 डीडवाना
 कोर्ट कैम्प-सूपका

निर्णय आज दिनांक 06.10.2021 कोर्ट कैम्प-सूपका में सुनाया गया।


 (कार्तिकेय सोणम)
 सहायक कलक्टर
 R.A.S.
 डीडवाना
 कोर्ट कैम्प-सूपका

डिक्री व मुकद्दमें इत्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाक्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 09/2018

दायर दिनाँक 08.01.2018

वादीगण	प्रतिवादीगण
1. बोदूराम पुत्र स्वर्गीय भँवरलाल, 2. धन्नाराम पुत्र भँवरलाल, 3. मोटाराम उर्फ बजरंगलाल पुत्र स्वर्गीय भँवरलाल, 4. कैलाश पुत्र स्वर्गीय भँवरलाल, 5. झूमरीदेवी पत्नी पुत्र स्वर्गीय भँवरलाल, 6. पुष्पा पुत्री स्वर्गीय जयनारायण, 7. गंगा पुत्री स्वर्गीय जयनारायण, 8. शिवभगवान पुत्र स्वर्गीय गोपीकिशन, 9. देवीदत्त पुत्र स्वर्गीय गोपीकिशन, समस्त, जाति-ब्राह्मण, निवासी-सूपका, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	1. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।
बनाम्	

दावा बाबत
बन्टवारा
अन्तर्गत धारा-53, R.T.Act.
व
रिकॉर्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा-136, R.T.Act.

दिनाँक 06.10.2021

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री महावीरप्रसाद चतुर्वेदी, अधिवक्ता, वादीगण की ओर से मददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, दावा डिक्री सादिर कर खेत खसरा नम्बर 48 रकबा 19.19 बीघा व खसरा नम्बर 114 रकबा 0.09 बीघा व खसरा नम्बर 115 रकबा 16.12 बीघा व खसरा नम्बर 30 रकबा 35.04 बीघा व खसरा नम्बर 110 रकबा 04.02 बीघा व खसरा नम्बर 218 रकबा 21.05 बीघा अवस्थित है तथा शरहद थाणू में खसरा नम्बर 277 रकबा 61.11 बीघा "बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स" के बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 663 दिनाँक 27.08.2021 थाणु व आस की ढाणी की भूमि के विभाजन प्रस्ताव अनुसार, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त खसरान् में बजरंग के स्थान पर मोटाराम, देवीलाल के स्थान पर देवीदत्त, हरदत्त के स्थान पर हरिदत्त व गोपीराम के स्थान पर गोपिकिशन दुरुस्त किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 663 दिनाँक 27.08.2021 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....

.....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसब्ल मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 06.10.2021 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।


 सहायक कलेक्टर
 डीडवाना
 डीडवाना (नागौर)